

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26
 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
 साहिल बनाम करणी सिंह व अन्य
 विविध प्रार्थना संख्या 2024/056
 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
21.11.24	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सतविन्द्र सिंह चहल द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थीगण के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एक पक्षीय सुना गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि आराजी चक सरकज नहर ओड़की, पटवार हल्का ओड़की, भू. अ.नि. क्षेत्र हिन्दुमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 43/34 के मुरब्बा नं. 14, 23, 24, की कुल 3.7190 हैक्टे0 नहरी मय गै0मु0रास्ता कृषि भूमि में से प्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता के नाम से दर्ज हिस्सा 528/3719 यानि 0.528 हैक्टे0 एवं प्राथी संख्या 03 के नाम से दर्ज हिस्सा 527/3719 यानि 0.527 हैक्टे0 कृषि भूमि को रहन, बैय व अन्य दिगर तरीके से हस्तान्तरण करने से निषेध रहे एवं मौका, राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाए रखें। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। आगामी तारीख पेशी तक तलबी न होने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 23.12.2024 को आकर पेश करें। अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">स्वाति गुप्ता R. A. S सहायक कलक्टर एवं कार्यापालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर</p>	

23.12.24 अस्थाई निषेधाज्ञा 2024/056 1, 2, 3
 को 21/11/24 को पेश किया गया था।
 प्रार्थीगण के द्वारा पेश किया गया
 प्रार्थना पत्र 08 की कोर्ट के अस्थाई
 निषेधाज्ञा 2024/056 के अन्तर्गत पेश
 किया गया है।



आज यीद पेशी आधिकारी... प्रार्थीगण को
 पत्रावली पेशी दिनांक 23/12/24 को पेश हो

30/01/25

आज पंठासमान अधिकारों... पुनः कार्य नगरे
पर है, पत्रावली पूर्वानुसार
लिंक... अथवा पेश हो

13/02/25

प्राथमिक द्वारा स्वयं उपस्थित आकर
प्राथमिक पर प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज
पेशी में ली गई। प्राथमिक के तत्पश्चात्
प्राथमिक एवं अप्राथमिक के मध्य लोकअदालत
की भावना से प्रेसि डेन्ट राजीनामा ले गया की
अन्य प्राथमिक उक्त प्रकृति की मौजूदा सूत्र में
दाखिल फलाना कथना पाएते हैं पत्रावली का
अवलोकन किया। पत्रावली तलबी हेतु
विचाराधीन चल रही है मुक्ति प्राथमिक प्रकृति
में आज कोई कार्रवाई नहीं पाएते हैं अन्य वि.क
पत्र 22 पर केवल उदाहरण अतः साहित्य
वनाम कथनीसिंह व अन्य वर्तमान स्तर पर
प्रारिज किया जाता है पत्रावली में अन्य कोई
कार्रवाई अपेक्षित नहीं है पत्रावली न स्वीकृत
है पत्रावली वापस ले लिया है कुल कुल की
जाकर निष्पत्ति की सूची में शामिल है